न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/एलआर /3875/2002/धौलपुर

1– कप्तानसिंह पुत्र श्रीपति मृतक जरिये वारिसान–
1/1– मु0 रेवती बेवा कप्तान सिंह
1/2– रामवीर सिंह
1/3– बिज्जो
1/4– देशा उर्फ देवेन्द्र सिंह
पुत्रगण कप्तान सिंह
समस्त जाति ठाकुर निवासीगण बरे हमोरी तहसील व जिला धौलपुर।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1– चित्तरसिंह पुत्र सुन्दरलाल मृतक जरिये वारिस
1/1– पंचम पुत्र चित्तरसिंह
1/2– राजवीर पुत्र चित्तरसिंह
समस्त जाति ठाकुर निवासीगण बरे हमोरी तहसील व जिला धौलपुर।
1/3– पप्पूलाल
1/4– शेरसिंह
1/5– नरेन्द्र सिंह
पुत्रगण प्रभू
समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा
2– जगजीत सिंह पुत्र हरविलास
3– अशोक पुत्र होराम
4– राधेश्याम पुत्र विशम्भर
5– जगदीश पुत्र कंवरसेन
समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा।
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर जिला धौलपुर।
7– भूमि आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

–रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
1. श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलांट।

निर्णय

दिनांक– 1–8–2024

हस्तगत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत् भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 3/2002 में पारित निर्णय दिनांक 12–7–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट/वादी द्वारा विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत बाबत आराजी खसरा नंबर 324 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी खसरा नंबर वाके ग्राम बहेर मोरी गैर मुमकिन पोखर का है और सदा

सर्वदा से उक्त नम्बर पोखर का रहा है। आज भी मौके पर पोखर है। उक्त नम्बर पर काबिज काश्त नहीं है। उक्त खसरा नंबर का साबिक खसरा नंबर 465 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 464 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 457 रकबा 4 बिस्वा है। उक्त खसरा नंबर पूरे ग्राम के सार्वजनिक उपयोग में लाया जाता है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी अपने नाम नियमन कराया जाना बताया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बहेर मोरी के आराजी खसरा नंबर 324 का नियमन निरस्त करवाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–12–1999 द्वारा रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलांट/प्रतिवादी के हक में विवादित आराजी का नियमन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 23–12–1999 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–7–2002 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 23–12–1999 यथावत रखा। उक्त आदेश दिनांक 12–7–2002 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलांट को विवादित भूमि का नियमन सन् 1970 में विधिवत रूप से किया गया एवं मौके पर कब्जा दिया गया। तब से अपीलांट मौके पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। इस कारण अपीलांट को विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त हो गई है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि न तो कभी पोखर थी एवं न ही आज है। अगर पोखर होती तो उसके बटा में चार खसरा नम्बर नहीं होते। क्योंकि पोखर का एक ही खसरा नंबर होता है। साबिक खसरा नंबर की किस्म परिर्वतन हो चुकी है एवं राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक हो चुकी है तथा बंदोबस्त में किस्म बारानी प्रथम दर्ज हो चुकी थी। विवादित भूमि के बाबत् अपीलांट ने एक दावा रेस्पोडेंट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के यहां पर प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–7–2002 द्वारा अपीलांट के हक में डिक्री किया एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा कोई अपील नहीं की गई। अतः अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–7–2002 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर का निर्णय दिनांद 23–12–1999 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर का नियमन आदेश दिनांक 24–11–1970 को बहाल रखा जावे।

5– अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का ध्यायपूर्वक अध्ययन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बहेर

मोरी के हाल खसरा नंबर 324 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का नियमन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23–12–99 द्वारा उक्त नियमन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि का आवंटन नियमन प्रतिबंधित होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर तहसीलदार को पूर्व की स्थिति दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 12–7–2002 में यही अंकित किया है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर अंकित है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानी गई है । सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है । विवादित आराजी पर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में देवस्थान चबूतरा बना हुआ बताया है । गैर मुमकिन पोखर की किस्म परिवर्तन कर उसका आवंटन/नियमन नियमों के विपरीत है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत मानकर प्रार्थी की अपील खारिज कर दी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है । हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि जिसकी किस्म पोखर है, जो जलस्त्रोत के काम आती है । ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(2) के तहत् नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है तथा किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार है –

"16 Land on which khatedari rights shall not accrue –Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accure in-

(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank**."**

उक्त प्रावधानों के विपरीत भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर की भूमि बिला लगानी दर्ज कर जरिए आवंटन/नियमन अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया वह विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है । आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

"Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनवानी जे.डी.ए. बनाम दीनदयाल पुरोहित पुत्र मोहनलाल पुरोहित निर्णय दिनांक 7–7–2023 में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

"In view of the discussion made herein above the concurrent findings of fact recorded by the three courts below do not suffer from any infirmity as the same have been recorded after correct appreciation of evidence on record. There is no jurisdictional error in the findings recorded by the courts below which warrant interference by this Court exercise of its extra ordinary jurisdiction under Article

226 of the Constitution of India and supervisory jurisdiction under Article 227 of the Constitution of India . There is no force in these writ petitions. The same are therefore dismissed."

इस संबंध में AIR 2008 SC 380 Boodireddy Chandraiah and Ors. versus Arigela Laxmi and Ors. के पैरा संख्या 13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं–

"13, The general rule is that High Court will not interfere with concurrent findings of the Courts below ."

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

7– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र लम्बित हो तो तदनुसार निर्णित किए जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य